राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

मिसलेनियस प्रार्थना पत्र संख्या – 11/2020
(अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 45/2020)
(अपील संख्या – 94/2019)

रामेश्वर लाल स्वामी

–प्रार्थी/अपीलार्थी

बनाम

1. डॉ. पृथ्वीराज, शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री अनूप कुलश्रेष्ठ, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. भारती दीक्षित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बनीपार्क, जयपुर (राज.)।

–अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.09.2020
आदेश की दिनांक : 23.02.2024

उपस्थित :–

प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र वैश्य, अभिभाषक
अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खाण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष मिसलेनियस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अधिकरण के आदेश दिनांक 16.10.2019 की पालना में विलम्ब से भुगतान किये जाने पर ब्याज का भुगतान किया जावे।

अप्रार्थी/प्रत्यर्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 94/2019 श्री रामेश्वर लाल स्वामी बनाम राज्य सरकार व अन्य दिनांक 20.01.2019 को प्रस्तुत की गई, जिसमें अधिकरण द्वारा दिनांक 16.10.2019 को आदेश पारित किया गया, जिसकी पालना में विभाग द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को 9/18/27 वर्षीय चयनित वेतनमान नवीन संवर्ग में ग्राम सेवक पद पर समायोजन की दिनांक से दिये जाने का आदेश दिनांक 21.08.2020 जारी किया गया, जिसके संबंध में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.09.2020 को अप्रार्थी/प्रत्यर्थी

विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेखित किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 31.10.2017 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी/अपीलार्थी की तृतीय एसीपी स्वीकृत कर अनुग्रहित करें ताकि अधिकरण के आदेश की पालना हो सके। परंतु विभाग द्वारा जानबूझकर नजरअंदाज करते हुये प्रार्थी/अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया, जो पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के क्लॉज 17 के विपरीत है। आदेश दिनांक 06.02.2023 के द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 07.01.2022 के अनुसरण में राशि का भुगतान करने की सहमति प्रदान करने उपरांत दिनांक 08.02.2022 के द्वारा शेष राशि रूपये 3,25,947/– का भुगतान प्रार्थी/अपीलार्थी के खाते में कर दिया गया, परंतु ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया। जबकि अधिकरण द्वारा पारित आदेश में विलम्ब से भुगतान किये जाने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान दिये जाने का आदेश फरमाया गया। परंतु विभाग द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को विलम्ब से भुगतान किये जाने पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, जो अधिकरण के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त आधारों पर प्रार्थी/अपीलार्थी का मिसलेनियस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अधिकरण के आदेश दिनांक 16.10.2019 की पालना में विलम्ब से भुगतान किये जाने पर ब्याज का भुगतान किया जावे।

हमनें प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.10.2019, जिसमें अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये गये कि *''आदेश की अनुपालना के लिये 3 माह का समय प्रदान किया जाता है। प्रार्थी/अपीलार्थी जन्म दिनांक 20.01.1960 होने से दिनांक 31.01.2020 में वह सेवानिवृत्त हो जायेगा। इसलिये आदेश की पालना 3 माह में नहीं करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज भी जिम्मेदार दोषी अधिकारी से प्राप्त करने का प्रार्थी/अपीलार्थी को अधिकार होगा।''* अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.02.2023 जिसके द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को दिनांक 08.02.2022 के

द्वारा शेष राशि रूपये 3,25,947/– का भुगतान प्रार्थी/अपीलार्थी के खाते में किया गया, परंतु यह भी उल्लेखित किया गया कि इस कार्यालय स्तर से एरियर के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। इस कार्यालय स्तर से किसी प्रकार की ब्याज राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं है। जबकि अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2019 में मात्र 3 माह का समय भुगतान हेतु दिया गया था, परंतु प्रत्यर्थी विभाग के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को विलम्ब से भुगतान किया गया और इस प्रकार प्रार्थी/अपीलार्थी विलम्ब से भुगतान होने पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर मिसलेनियस प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मिसलेनियस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2019 की पालना में अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को विलम्ब से शेष राशि का भुगतान किये जाने पर नियमानुसार वार्षिक साधारण ब्याज का भुगतान किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

संबंधित रीडर (पेशकार) को मिसलेनियस प्रार्थना पत्र पत्रावली के साथ अवमानना प्रार्थना पत्र पत्रावली एवं अपील पत्रावली को एक साथ टैग किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य